न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 289A / 2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा		1. ग्राम पंचायत आसोतरा पंचायत समिति बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60
भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश **दिनांक 12.11.2021**

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षेप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम आसोतरा में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो गोगड़नाडी से पीपलिया नाडा–गरा रास्ता तक वर्तमान में चल रहा है। ग्राम आसोतरा के खसरा नम्बर 3355/2144 रकबा 93–16 बीघा में से 1–06 बीघा, भूमि किस्म गै.मु. भाखर में से उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल :::: में किया गया है, उक्त कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट केम्प आसोतरा में तहसीलदार पचपदरा ने मजमें आम में जांच कर जाहिर किया गया कि रास्ते का प्रस्ताव तैयार कर ग्राम को जोडने वाली सडक कटान रास्ता तक रास्ता दर्ज करने से भूमि संबंधित खाता में खातेदार के नाम ही दर्ज होगी, इसमें किसी प्रकार की आमजन को असुविधा नहीं होगी, बल्कि रास्ता आमजन के लिए अधिक सुविधा जनक यह रास्ता होगा। चुंकि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है, रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के नाम ही यथावत दर्ज रहेगी।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं [illegible] उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 ज[illegible]क 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे [illegible] डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे [illegible] पर पुराने समय से रास्ता [illegible] हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते की आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। रास्ता राजस्व रिका[illegible] दर्ज किया जाता है तो क[illegible] नहीं है। हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालत मे होने की ताईद की है व कोई आपति जाहिर नही की है। भूमी धारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई आधार पत्रावली पर नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:15:11 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार पचपदरा की ओर से ग्राम में रास्ता कटान हेतु के ग्रामों ढाणियों व मजरों के अवरूद्ध रास्ते के लिए जोडने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीम नक्शा जद्दा ट्रेस मे तरमीम का आदेश जारी करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर ग्राम में पडोस के ग्रामों ढाणियों व मजरों के अवरूद्व रास्ते को जोडने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है, जिसे है। ग्राम आसोतरा के खसरा नम्बर 3355/2144 रकबा 93–16 बीघा में से 1–06 बीघा, भूमि किस्म गै.मु. भाखर रास्ते हेतु प्रभावित प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता बरंग लाल मुताबिक तरमीम एवं शेष रही भूमियों का विवरण तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है , उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित राजस्थान सरकार के नाम खाते से ही दर्ज रहेगा। तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2021 को केम्प कोर्ट आसोतरा में मजमें आम में सुनाया गया।

(नरेश सोनी)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा

(नरेश सोनी)
पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
बालोतरा, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
केम्प ग्राम पंचायत आसोतरा पं.स. बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:15:11 IST
Reason: SelfAttested